मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद कमांक 1

राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन राशि पर ₹ 978.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी योजनांतर्गत नेशनल ई-गर्वनेंस प्रोग्राम के कियान्वयन हेतु ₹ 513.62 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 3

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कियान्वयन हेतु राशि ₹ 3000.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा । इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 प्रतीक अग्रिम लिया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपयोजना मौसम आधारित फसल बीमा के कियान्वयन हेतु ₹ 443.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,43,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 5

संचालनालय उद्यानिकी के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना है। पदों के वेतन भत्तों हेतु रुपये 448.70 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण है:-

क.	पदनाम	वेतनमान + ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	9300-34800+4300	35
2	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	5200-20200+2400	187
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200+2400	30
	योग		252

यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 6 से 7

केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ₹ 425.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 8

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।